न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—130 / 2020 / 225 (2020 / 00130)

1. नन्दू पत्नी भैरू,
2. भागचंद पुत्र भैरू,
3. काली पुत्री भैरू,
4. धन्नी पुत्री राजू पत्नी कल्याण,
   सभी जाति माली, निवासीगण ग्राम बड़गांव तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. घीसा पुत्र मांगीलाल,
2. रामधन पुत्र मांगीलाल,
3. गोपाल पुत्र मांगीलाल,
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम बड़गांव, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
5. पटवारी हल्का ग्राम बड़गांव, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

6. किशन पुत्र रामलाल,
7. जेठू पुत्र खाना,
8. अलोल पत्नि खाना,
9. गंगाराम पुत्र लादूलाल,
10. देवकरण पुत्र खाना,
    समस्त जाति माली, निवासीगण ग्राम बड़गांव, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
11. हरिगोद पुत्र ऊंकार,
12. झूमरी पत्नि महादेव,
13. महेन्द्र पुत्र महादेव,
14. लालाराम उर्फ विश्राम पुत्र महादेव,
15. धर्मा पुत्र भैरूलाल,
16. छोटी पत्नि भोमा,
17. रूपलाल पुत्र भोमा,
18. जीवण पुत्र भोमा,
19. सुवा पुत्र श्योजी,
    सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बिलिया, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
20. गजराज पुत्र भैरू, जाति माली, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 18.10.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 35 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गोपाल आचार्य, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3, 6 से 9, 11 से 19 एवं 20 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के आदेश दिनांक 18.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर पुराने खसरा संख्या 1029 नये खसरा संख्या 1822, 1823, 1824 रकबा 2.91 है0 स्थित ग्राम बड़गांव मांगीलाल पुत्र श्रवण की खातेदारी में दर्ज है। इस कारण ग्राम अप्रार्थीगण/अपीलांट और प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 20 गजराज को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 18.10.2019 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का पूर्ण विवेचन नहीं किया गया है । अपीलांट ने वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 1822, 1823 व 1824 में उड़द व तिल्ली की फसल काश्त की है और अपीलांट उक्त फसल में निराई कर रहे है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस व प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 20 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । हाल खसरा संख्या 1821, 1822, 1823 व 1824 के भू—प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल से बने चौसाला खसरा संख्या 1029 के चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के खातेदार बख्तावर व राजू पि0 श्रवण के नाम खातेदारी इंद्राज है जिसमें उपरोक्त आराजी में अपीलांट का 1/4 हिस्सा व अधिकार है तथा इसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा व अधिकार है जिन्हें किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है । इस कारण अधी0न्याया0 को अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर रेस्पो0/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था । किन्तु अधी0न्याया0 ने काउन्टर प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना अपीलांटस/अप्रार्थीगण को मूल वाद तक निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने दिनांक 17.6.2019 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर दिनांक 18.10.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिसका कोई न्यायिक अभिमत नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत् निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया और न ही निर्णित किया

है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10. 2019 तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 1 केंसर रोग से पीड़ित है जिसका ईलाज अक्टूबर 2019 से निरन्तर चल रहा है तथा आये दिन जयपुर जाना पड़ता है इस कारण अपीलांट संख्या 2 उनके अभिभाषक से संपर्क नहीं कर सका था । वर्तमान में भी अपीलांट संख्या 1 का ईलाज चल रहा है । इसके अतिरिक्त मार्च 2020 से निरन्तर लोक डाउन व कार्य स्थगित रहने के कारण अपीलांटस को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हो सकी थी इस कारण समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी । दिनांक 21.7.2020 को अपीलांट की ओर से नकल हेतु आवेदन पेश किया गया जिस पर दिनांक 24.7.2020 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपील के विचाराधीन रहते लिखित जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 एवं अपील विरूद्ध अतिरिक्त आपत्तियां पेश की थी । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि ग्राम बड़गांव हल्का बड़गांव भू–अभिलेख कनईकल्ला तहसील भिनाय के राजस्व रिकार्ड के मूल मिसल बंदोबस्त 1359 फसली के अनुसार खसरा नंबर 1029 रकबा 28 बीघा 12.10 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि तथा 24 बीघा 6 बिस्वा गैर मजरूवा शामिल जोत खातेदारी कृषि भूमि बख्तावर वल्द श्रवण माली के नाम से खातेदारी में दर्ज थी । अर्थात् 52 बीघा 18.10 बिस्वा भूमि है । उक्त भूमि भूमि का प्रथम सेटलमेंट के अनुसार वर्किग खसरा संख्या 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1476, 1477 कायम किये जाकर द्वितीय सेटलमेंट के तहत वर्किग मिलान क्षेत्रफल के तहत खसरा संख्या 1821 रकबा 1.01 है0, 1822 रकबा 0.02 है0, 1823 रकबा 2.00 है0, 1824 रकबा 0.89 है0 कायम किये जाकर आधार जमाबंदी कायम की गई जो वर्तमान में स्थित है । उक्त भूमि से खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1821 रकबा 1.01 है0 भूमि सेटलमेंट के दौरान बदलकर रेस्पो0 संख्या 11 से 19 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी तथा शेष भूमि खसरा संख्या 1822 रकबा 0.02 है0, 1823 रकबा 2.00 है0, 1824 रकबा 0.89 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.91 है0 भूमि की खातेदारी वर्तमान में मांगीलाल पुत्र बख्तावर माली के नाम दर्ज हुई थी जिसका कब्जा वर्षो से रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पास चला आ रहा है । शेष अन्य खातेदारी भूमि सेटलमेंट द्वारा फेरबदल किये जाने एवं पड़ौसी खातेदार रेस्पो0 संख्या 6 से 20 के नाम दर्ज किये जाने से व्यथित होकर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा एक राजस्व संख्या 6/2018 बउनवान घीसा बनाम तहसील भिनाय व अन्य प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पो0 संख्या 6 से 20 द्वारा लोक अदालत की भावना से अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया तथा उक्त भूमि खसरा संख्या 1822, 1823, 1824 की खातेदारी व कब्जा काश्त रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पक्ष में होने के बावजूद भी अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 20 व उनका सिजारी प्रहलाद गुर्जर की बार–बार दखलअंदाजी से व्यथित होकर विधिक प्रार्थना पत्र संख्या 35/2018 धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् अपीलांट संख्या 1 से 4 द्वारा वाद बाहुल्यता बढ़ाने की नियत से उक्त खसरा नंबर 1821, 1822, 1823, 1824 बाबत् क्रॉस राजस्व वाद संख्या 76/2018 बउनवान नन्दू व अन्य बनाम घीसा व अन्य पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0

के पेश किया जो अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसे समेकित किये जाने बाबत् रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पेश किया तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा तामील किये जाने के पश्चात् प्रथम सुनवाई के दिन नही अपना जवाब पेश कर दिया था जो अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । प्रकरण संख्या 35/2018 में अपीलांटस का जवाब प्रस्तुत किये जाने के बाद राज्य सरकार का जवाब बंद होने के बाद उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर दिनांक 18.10.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र इस आधार पर कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 खसरा संख्या 1822, 1823, 1824 के रिकार्डेड खातेदार होने से तथा खातेदारी भूमि का कब्जा भी रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल का होने से अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांटस को पाबंद किया है । उक्त आदेश दोनों पक्षों को सुनकर जारी किया गया है जिसकी जानकारी दोनों पक्षों को थी । अपीलांटस ने जानबूझकर अपील मियाद बाहर पेश की है । विलंब के जो कारण अंकित किये है वे ठोस नहीं होने से अपील इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त विवादित खसरों से संबंधित मूल वाद संख्या 76/2018 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् विविध प्रार्थना पत्र संख्या 39/2018 नन्दू बनाम घीसा व अन्य अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा बार–बार बहस किये जाने बाबत् अपीलांटस के अधिवक्ता एवं अपीलांटस को निवेदन किये जाने के बावजूद तारीख पेशी लेते आ रहे है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस को विवादित खसरा संख्या 1821, 1822, 1823 व 1824 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 1822, 1823 व 1824 की खातेदारी भी रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल के नाम से दर्ज है तथा कब्जा भी रेस्पो0 का ही चला आ रहा है जिस पर वर्तमान में फसल काश्त कर रहे है जिसे खाने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की गई है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र भी विचारधीन है जिसे निरस्त कराने की नियत से यह अपील पेश की है । अपीलांटस द्वारा अपीलमीमों में पैरा संख्या अ, ब, स में जो तथ्य अंकित किये है वह न्यायालय को गुमराह करने के आशय से मिथ्या एवं गलत है । सही तथ्य यह है कि विवादित भूमि मांगीलाल पुत्र श्रवण की खातेदारी में दर्ज न होकर मांगीलाल पुत्र बख्तावर की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त खातेदारी भूमि अपीलांटस की कोई पुश्तैनी आराजी नहीं है । अतः रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को पत्रावली पर लिया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्टेज पर निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे सद्भाकिव एवं उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि

खसरा नंबर 1822 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 1823 रकबा 2.00 है0 एवं खसरा नंबर 1824 रकबा 0.89 है0 भूमि बख्तावर वल्द श्रवण माली से उसके एक मात्र पुत्र मांगीलाल के नाम खातेदारी से दर्ज है । प्रार्थीगण मांगीलाल के उत्तराधिकारी होकर विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 3, 4 व 5 विवादित आराजियात को अपनी बताते हुए तथा अप्रार्थी संख्या 24 द्वारा विवादित आराजियात का सिजारी बताते हुए जबरन फसल पर नुकसान कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अप्रार्थीगण भागचंद व नन्दू ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन तथा काउन्टर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि हाल खसरा संख्या 1821, 1822, 1823 व 1824 के भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल से बने चौसाला खसरा नंबर 1029 के चौसाला जमाबंदी 2024 से 2027 के खातेदार बख्तावर व राजू पि0 श्रवण के नाम खातेदारी इंद्राज है जिसमें उपरोक्त में अप्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । यह भी कथन किया कि चौसाला खसरा व हाल खसरा से रकबे का मिलान सही नहीं होने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा संख्या सही नहीं है । अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 ने अधी0'न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि बख्तावर वल्द श्रवण माली के नाम से दर्ज होने से राजू को कोई खातेदारी हक प्राप्त नहीं हो सकते है । ऐसी सूरत में अप्रार्थी संख्या 7, 8 व 9 का भी उक्त कृषि भूमि में कोई अधिकार निहित नहीं है । विवादित की खातेदारी प्रार्थीगणों के पक्ष में दर्ज की जाती है तो रेस्पो0 संख्या/अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 को कोई उज्र ऐतराज नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.10.2018 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीग्ण संख्या 1 से 3/अपीलांटस को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या नई 389 पुरानी 360 के खसरा नंबर 1822 रकबा 0.02 है0, गै0मु0चाह, खसरा नंबर 1823 रकबा 2.00 बा–3 एवं खसरा नंबर 1824 रकबा 0.89 है0 बा–3 कुल किता 3 कुल रकबा 2.91 है0 भूमियां मांगीलाल वल्द बख्तावर कौम माली साकिन देह खातेदार दर्ज है । इसी जमाबंदी में नामातकरण संख्या 1368 दिनांक 2.9.2014 के नोट के अनुसार पूरा खाता राहिन आई0सी0आई0बैंक लि0 शाखा चांपानेरी मूर्तहीन दर्ज है । इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पूर्वज मांगीलाल वल्द बख्तावर कौम माली दर्ज होकर काबिज काश्त होना साबित है । इसके अपीलांटस ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात में अपीलांटस का 1/4 हिस्सा दर्ज हो । विवादित आराजियात में अपीलांटस का 1/4 हिस्सा है अथवा नहीं, इन सब तथ्यों का निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण/रेस्पो0 है । रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की आराजियात में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दखलदांजी किये जाने पर रिकार्डेड खातेदार अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/अप्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा प्रार्थना

पत्र पेश किया है न कि प्रतिवाद प्रार्थना पत्र । जवाबदावा प्रार्थना पत्र को काउन्टर प्रार्थना पत्र नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2019 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर